न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 19/2017
दायर दिनांकः 20.09.2017
निर्णय दिनांक 24.02.2025

–: अनवान :–

ओमप्रकाश पिता मोहनलालजी, जाति शर्मा ब्राहम्ण, उम्र वयस्क निवासी भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द

– निगराकार

बनाम

1. श्रीमती लीलाबाई पत्नी पारसमल, जाति जैन बम्ब, उम्र वयस्क निवासी भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत, भीम जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

– गैर निगराकार

<u>निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी याचिका बाबत ग्राम पंचायत, भीम द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3107 दिनांक 12/02/2013 को अपास्त कराने बाबत</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2– सम्पत लाल लडढ़ा अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
3– अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02 अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी याचिका बाबत ग्राम पंचायत, भीम द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3107 दिनांक 12/02/2013 को अपास्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत, भीम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक

12/02/2013 को पट्टा संख्या 3107 अन्तर्गत नियम 157 उपनियम 1 के तहत जारी किया गया है जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अप्रास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा राजस्व ग्राम भीम की आराजी संख्या 8839 में स्थित होना बताया जाकर उक्त पट्टेशुदा खातेदारी जमीन के पड़ौस पूर्व में सोहनलाल, पश्चिम में पांचाराम, उत्तर में लादूलाल सोनी व दक्षिण में आमरास्ता है। नाप 75 गुणित 60 फीट यानि 4500 वर्गफीट है। यह जमीन खातेदारी जमीन है इसलिये पट्टा जारी नहीं हो सकता। लीलाबाई ने तीन हजार वर्गफीट ही जमीन क्रय की थी जबकि उक्त पट्टा 4500 वर्गफीट का जारी किया गया, जिसे निरस्त कराने के लिये निगरानी याचिका इन आधारों पर पेश है कि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत ने फर्जी रूप से उक्त पट्टा जारी किया है जो उसके क्षेत्राधिकार से परे है। ग्राम पंचायत, किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं रखती है। उक्त भूमि निगराकार के हक अधिकार एवं स्वामित्व आधिपत्य की भूमि होकर राजस्व रेकर्ड में निगराकार के नाम पर दर्ज है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्व ग्राम भीम की आराजी नम्बर 8839 निगराकार व उसके भाईयों के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा निगराकार व उसके भाई उक्त भूमि के खातेदार होकर मालिक आधिपत्यधारी है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं। उक्त पट्टशुदा भूमि विपक्षी संख्या 1 ने गलत रूप से अपनी बताते हुए अपनी खातेदारी की जमीन होना बताते हुए पट्टा जारी करवाया है जो विधि के विपरीत हैं। उक्त भूमि आज भी खाली पड़ी हुई है जिस पर कोई मकान बना हुआ नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना मकान बताते हुए उक्त पट्टा जारी किया है जो विधि के विपरीत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पुराने बने हुए मकान को विनियमितिकरण करने का ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है लेकिन उक्त पट्टेशुदा भूमि पर कोई पुराना मकान ही निर्मित नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर मकान बना होना बताते हुए पटूटा जारी करने में त्रुटि कारित की है। ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही फर्जी एवं कूटरचित रूप से की गई है तथा उक्त पट्टे की कार्यवाही में ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई है। बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के केवल कयासी आधार पर उक्त भूमि के आराजी संख्या 8839 का अंकन कर दिया गया है जो विधि के विपरीत है। पटवारी हल्का से भी इसलिये रिपोर्ट नहीं ली गई क्योंकि यदि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पत्रावली में पेश कर दी गई तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि जिसके संबंध में यह पट्टा जारी किया जाना है, वह भूमि निगराकार व उसके भाई की है तथा राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर वे ही लोग काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, इसीलिये ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिये बगैर ही निगराकार की भूमि में विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

दिया गया जो विधि विरूद्ध है। आवेदक द्वारा जो आवेदन पेश किया गया है, वह ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने की तारीख का है। पट्टा दिनांक 12/02/2013 को जारी किया जबकि आवेदन पत्र उसके बाद दिनांक 25/02/2013 को प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत ने भी आवेदन पर दिनांक 25/02/2013 को ही आपत्ति आव्हान पत्र जारी किया गया जबकि उससे पहले ही उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली में जो आदेशिका कायम की गई है, वह बिना दिनांक और बिना प्रस्ताव पारित किये ही पट्टा जारी कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उससे पहले ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रकरण में पट्टा जारी कर दिया, इससे अधिक और फर्जीवाड़ा का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 3107 दिनांक12/02/2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा विपक्षीगण द्वारा षड़यंत्र व मिलीभगत करते हुए फर्जी एवं कूटरचित रूप से निगराकार की भूमि के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया है, उसके संबंध में विपक्षीगण के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही भी अमल में लायी जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लडढ़ा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। व अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित। ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई।

गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी के प्रथम पृष्ठ की कलम संख्या एक में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित है सही नहीं है। विपक्षी संख्या एक लीलाबाई के हक में विपक्षी सख्या दो ने पट्टा संख्या 3107 जारी नहीं करवाया वरन् पट्टा संख्या 3104 जारी करवाया था। निगराकार का अभिवचन संशोधन का मोहताज है। निगराकार ने शायद पट्टा को ध्यान से नहीं पढ़ा है। पट्टा में 105 फीट X 15 फीट ही अंकित है जो अभिवचन भी संशोधन का मोहताज है। निगराकार स्वयं विपक्षी संख्या एक द्वारा भुमि क्रय करना मान रहा है वस्तुतः वादग्रस्त भुमि लीला ने निगराकार के पिता से ही क्रय की थी एवं क्रयशुदा सम्पदा के माप व पडौसो का ही पट्टा पंचायत ने जारी किया है जिससे निगरानी काबिल निरस्त है। वादग्रस्त भुमि निगराकार के पिता मोहनलाल पिता महादेव शर्मा ने रजिस्टर्ड विकय पत्र से विपक्षी संख्या एक को विक्रय कर दी। विपक्षी संख्या एक ने कोई त्रुटि नहीं की है व विधिवत रूप से पट्टा जारी कराया है। निगराकार को निगरानी दायर करने की लोकस स्टण्डी नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भुमि को निगराकर के पूर्वाधिकारी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.01.83 द्वारा वादग्रस्त सम्पदा विपक्षी संख्या एक को विक्रय कर दी जिसके निम्नांकित पडौस व माप थे पूर्व आम रोड, नेशनल हाईवे, पश्चिमः बलाईयो की जमीन, उत्तर : मोहनलाल (विक्रेता) का तलिया जो सोहनलाल जी बम्ब को विक्रय किया, दक्षिणः पिस्ताबाई पत्नि सोहनलाल जी बम्ब का लिया माप 105 फीट X 15 फीट इन्हीं पडौसो के मध्य वर्तमान पडौस पट्टे में लिखे गए है जिस बाबत् निगराकार को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। जब निगराकार के पिता जमीन 35 वर्ष पूर्व अंतरित कर चुके तो निगराकार विबन्ध के सिद्धान्त से प्रतिबन्धित है विपरित में नहीं बोल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सकता है। प्रार्थी ने गलत कार्यवाही महज सिविल कार्यवाही में प्रतिरक्षा हेतु कपट पूर्वक आप न्यायालय में पेश की है। निगराकार अवर न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नही था तथा आलरेडी एस डी ओ कोर्ट में रेग्यूलर सूट दायर कर चुका है तो प्रस्तुत कार्यवाही कानूनन नहीं चल सकती है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी याचिका सव्यय निरस्त की जाए।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत, भीम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 12/02/2013 को पट्टा संख्या 3107 अन्तर्गत नियम 157 उपनियम 1 के तहत जारी किया गया है जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अप्रास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा राजस्व ग्राम भीम की आराजी संख्या 8839 में स्थित होना बताया जाकर उक्त पट्टेशुदा खातेदारी जमीन के पड़ौस पूर्व में सोहनलाल, पश्चिम में पांचाराम, उत्तर में लादूलाल सोनी व दक्षिण में आमरास्ता है। नाप 75 गुणित 60 फीट यानि 4500 वर्गफीट है। यह जमीन खातेदारी जमीन है इसलिये पट्टा जारी नहीं हो सकता। लीलाबाई ने तीन हजार वर्गफीट ही जमीन क्रय की थी जबकि उक्त पट्टा 4500 वर्गफीट का जारी किया गया, जिसे निरस्त कराने के लिये निगरानी याचिका इन आधारों पर पेश है कि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत ने फर्जी रूप से उक्त पट्टा जारी किया है जो उसके क्षेत्राधिकार से परे है। ग्राम पंचायत, किसी भी व्यक्ति की निजी भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं रखती है। उक्त भूमि निगराकार के हक अधिकार एवं स्वामित्व आधिपत्य की भूमि होकर राजस्व रेकर्ड में निगराकार के नाम पर दर्ज है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्व ग्राम भीम की आराजी नम्बर 8839 निगराकार व उसके भाईयों के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा निगराकार व उसके भाई उक्त भूमि के खातेदार होकर मालिक आधिपत्यधारी है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा न केवल विधि विरुद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी पट्टा संख्या 3107 दिनांक 12/02/2013 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिनुसार सही पट्टा जारी किया है निगराकार को कोई वैद्य हक अधिकार प्राप्त नही है। वादग्रस्त भूमि निगराकार के पिता मोहनलाल पिता महादेव शर्मा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या एक को विक्रय कर दी। वादग्रस्त सम्पदा विपक्षी संख्या एक के हक आधिपत्य की है एवं निगराकार को कोई वैद्य हक अधिकार प्राप्त नहीं है। निगराकार को निगरानी दायर करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भुमि को निगराकर के पूर्वाधिकारी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्तरित कर चुके है। निगराकार के पूर्वाधिकारी मोहनलाल पिता महादेव जी ब्राहम्ण निवासी भीम ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विपक्षी संख्या एक को दिनांक 03.01.1983 को निम्नांकित पडौसो मध्य सम्पदा विक्रय की – पूर्व आम रोड, नेशनल हाईवे, पश्चिमः बलाईयो की जमीन, उत्तर : मोहनलाल (विक्रेता) का तलिया जो सोहनलाल जी बम्ब को विक्रय किया, दक्षिणः पिस्ताबाई पत्नि सोहनलाल जी बम्ब। उपरोक्त चारो दिशाओ के मध्य स्थित सम्पत्ति का ही पट्टा जारी किया गया है। निगराकार द्वारा उक्त विक्रय पत्र को

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

अवैध व शुन्य घोषित कराने हेतु अलग से दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अधिवक्ता विपक्षी ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त 2021 (1) DNJ (राज.) 186 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि जिला कलक्टर अथवा किसी निगरानी अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा खारिज नही किया जा सकता है, रजिस्टर्ड पट्टा केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता हैं एवं न्यायिक दृष्टान्त 2016 (3) WLC (राज.) 627 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि पट्टे को रद्द करने की अधिकारिता केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त फरमाई जाए।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री पारसमल के पक्ष में दिनांक 12.02.2013 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 2 दिनांक 12.02.2013 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे यह प्रावधान विहित है कि **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है**" ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रश्नगत पट्टे में दिनांक 12.02.2013 को ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 12.02.2013 में संकल्प संख्या 2 की अनुपालना में पट्टा जारी करना बताया जबकि प्रार्थी श्रीमती लीलाबाई द्वारा पट्टे बाबत ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 25.02.2013 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो कि विरोधाभासी स्थिति प्रकट करता हैं। प्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र स्टाम्प पर नहीं है, न ही नोटरी से सत्यापित करवाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची मे कहीं कहीं दिनांक भी अंकित नही है। पत्रावली में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड के 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने गृह के निर्मित होने बाबत कोई साक्ष्य अंकित नही किये गये। ना ही स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण दिनांक का अंकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध आपत्ति आव्हान पत्र में भूमि के विवरण के कॉलम मे क्षैत्रफल का कोई अंकन नहीं किया गया, न ही भूखण्ड के पडौस की अवस्थिति बताई गई। आपत्ति आव्हान पत्र कब जारी किया गया उसकी कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी। और उसके चस्पादगी एवं किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया। इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तथाकथित पट्टे बाबत पटवारी हल्का से भूमि किस्म संबंधी रिपोर्ट भी नहीं ली गई।

प्रश्नगत पट्टे के संबंध में अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब व बहस में यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि निगराकार के पूर्वाधिकारी मोहनलाल पिता महादेव जी ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.01.1983 को क्रय की जबकि पट्टा पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन पर पाया कि प्रश्नगत पट्टे में वर्णित वादग्रस्त भूमि लीलाबाई द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2012 को श्री घीसूलाल पिता निम्बाराम से क्रय की गई एवं उक्त विक्रय पत्र में भी रिक्त आवासीय भूखण्ड विक्रय किये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जाने का उल्लेख किया हुआ हैं। जिससे प्रश्नगत पट्टे की प्रमाणिकता संदेहास्पद प्रतीत होती हैं।

जहाँ तक ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई की अधिकारिता का प्रश्न है, प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीरे नगरपालिका द्वारा जारी पट्टे के संबंध में प्रस्तुत की गई है जो कि नगरपालिका द्वारा जारी पट्टो पर लागु होती हैं। विचारणीय प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टान्त लागु नही होते है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी की सुनवाई की अधिकारिता/श्रवणाधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहीत की गई प्रक्रिया की पालना नही की गई, विधिवत आपत्ति आमंत्रण करके ग्राम पंचायत की कोरम में इस बाबत निर्णय नही किया गया। ग्राम पंचायत भीम द्वारा प्रश्नगत पट्टा दिनांक 12.02.2013 को जारी किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा पट्टे बाबत ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र ही दिनांक 25.02.2013 को प्रस्तुत किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि तथाकथित पट्टा जारी करने में विधि अनुरूप प्रक्रिया की पालना नही की गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुरूप नही होने से खारिज योग्य हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री पारसमल के पक्ष में दिनांक 12.02.2013 को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से मूल पट्टा पत्रावली को निर्णय की प्रति के साथ नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)